उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-3
संख्या-04/2024/आई/714983/2024/37/3099/129/2022
लखनऊ: दिनांक: 13 अगस्त, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः- वेतन समिति उ0प्र0 (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप उ0प्र0 पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा के दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन।

श्री राज्यपाल, उ0प्र0 पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा के दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने सम्बन्धी प्रावधानों का विनियमन करने वाले प्रावधानों का निम्नानुसार संशोधन किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं:-

2- **इन आदेशों के अन्तर्गतः**-

(क) वर्तमान पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का तात्पर्य उन पेंशनरों से है, जो दिनांक 31.12.2015 को पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित कर रहे थे या पेंशन/पारिवारिक पेंशन के हकदार थे।

(ख) वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन का तात्पर्य मूल पेंशन (राशिकृत भाग यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए) जो दिनांक 31.12.2015 को देय थी, से है।

3- ऐसे वर्तमान पेंशनर जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत हुए है, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को उ0प्र0 वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के क्रम में मिल रही पेंशन को 2.57 से गुणा कर आगणित किया जायेगा। इस प्रकार से आगणित धनराशि को अगले रूपये में पूर्णांकित करते हुए पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा।

उपरोक्त प्रक्रिया के साथ ही साथ दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत्यु के समय, जिस वेतनमान में अन्तिम वेतन आहरित किया था, उसका प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण उसकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि के उपरान्त के वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार किया जायेगा और इस प्रकार दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित होने वाले प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा।

4- इस व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 के पहले सेवानिवृत्त/मृत विश्वविद्यालय के कार्मिकों द्वारा धारित वेतनमान में आहरित अंतिम वेतन का प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण इस शासनादेश में उल्लिखित तालिका में दिये गये उदाहरणों के आधार पर पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार दोनों रीतियों से पेंशन पृथक-पृथक संशोधित किए जाने पर दिनांक 01.01.2016 को, सम्बन्धित पेंशनर को पेंशन की वह धनराशि अनुमन्य होगी, जो अधिक हो। **उदाहरण-1 पेंशनर-ए,** वेतनमान रू0 67000-79000 में अंतिम मूल वेतन रू0 79000/- प्राप्त करते हुए दिनांक 31.05.2015 को उ0प्र0 वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लागू वेतनमानों में प्राप्त करते हुए सेवानिवृत्त होता है, उसकी पेंशन उ0प्र0 वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लागू वेतनमानों में रू0 39500/- निर्धारित होती है। उ0प्र0 वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर 2.57 के गुणांक का उपयोग करते हुए उसकी पेंशन पुनरीक्षित होकर रू0 1,01,515/- निर्धारित होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>उदाहरण-2 पेंशनर-बी.</u> चतुर्थ वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लागू वेतनमानों में रू0 3000-100-3500-125-4500 में अंतिम मूल वेतन रू0 4000/- पाते हुए दिनांक 31.01.1989 को सेवानिवृत्त हुआ और उसकी पेंशन तत्समय रू0 1940/- निर्धारित हुई। उ0प्र0 वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर उसकी पुनरीक्षित पेंशन रू0 12,600 निर्धारित हुई। उ0प्र0 वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर 2.57 के गुणांक के आधार पर उसकी पेंशन रू0 32,382/- निर्धारित होगी।

5- पुनरीक्षित पेंशन में राशिकृत धनराशि, यदि कोई है, भी सम्मिलित होगी। राशिकृत धनराशि को काटते हुए, जो धनराशि आयेगी उसके अनुसार मासिक पेंशन दी जायेगी।

6- दिनांक 01.01.2016 से न्यूनतम पेंशन की धनराशि 9000/- होगी। (80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर) पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की उच्च सीमा राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन की क्रमशः 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत होगी।

6(1) वृद्ध पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को अनुमन्य पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि निम्नानुसार मिलना जारी रहेगीः-

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	**पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की अतिरिक्त धनराशि**
80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष की आयु परन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष की आयु परन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष की आयु परन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष की आयु या उससे अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

उपरोक्तानुसार अनुमन्य अतिरिक्त पेंशन हेतु आयु की गणना उस माह की पहली तारीख से की जायेगी, जिस माह वरिष्ठ पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि होगी।

अतिरिक्त पेंशन को पेंशन भुगतान आदेश में अलग से दिखाया जायेगा। उदाहरणार्थ यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि रू0 10,000/-प्रतिमाह है, में पेंशन इस प्रकार दर्शायी जायेगी, (1) मूल पेंशन रू0 10,000/-(2) अतिरिक्त पेंशन रू0 2000/-। 85 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, (1) मूल पेंशन रू0 10,000/-(2) अतिरिक्त पेंशन रू0 3000/- प्रतिमाह होगी।

6(2) उपर्युक्तानुसार निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन में दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत महंगाई राहत भी सम्मिलित है।

7- उन मामलों में जहाँ पुनरीक्षित/पारिवारिक पेंशन की धनराशि रू0 9000/-से कम आगणित होती है, तो उसे रू0 9000/-के स्तर पर उच्चीकृत कर दिया जायेगा और यह दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण संबंधित कोषागारों द्वारा किया जायेगा। पुनरीक्षण के फलस्वरूप निर्धारित होने वाली पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम तथा अधिकतम धनराशि इस आदेश के प्रस्तर-6 में दी गयी सीमा के अनुसार होगी। जहाँ पुनरीक्षण के फलस्वरूप पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की धनराशि रू0 9000/- प्रतिमाह से कम हो रही हो वहाँ संबंधित कोषागार द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि रू0 9000/- प्रतिमाह तक बढ़ा दी जायेगी। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु संबंधित पेंशनर से आवेदन किये जाने की अपेक्षा न की जाये। कोषागारों द्वारा जब संबंधित पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षित की जाये, तो तत्संबंधी सूचना भी पेंशनरों को उपलब्ध करा दी जाये, जिसमें पुनरीक्षित पेंशन एवं राशिकरण आदि के समायोजन का भी उल्लेख किया जाये।

9- **<u>महंगाई राहत</u>**- पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर समय-समय पर अनुमन्य महंगाई राहत देय होगी। इन आदेशों के अंतर्गत पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01.01.2016 से शून्य प्रतिशत तथा दिनांक 01.07.2016 से 02 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

10- **<u>अवशेष भुगतान की प्रक्रिया-</u>**

(क) इन आदेशों के तहत निर्धारित/पुनर्निर्धारित सेवानैवृत्तिक लाभों का भुगतान माह सितम्बर, वर्ष 2024 जिसका भुगतान माह अक्टूबर, 2024 में किया जाना है, से किया जाये। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से अगस्त, 2024 तक के देय अवशेष के (प्रथम) 50 प्रतिशत अंश का भुगतान माह दिसम्बर, 2024 के उपरान्त तथा अवशेष के द्वितीय 50 प्रतिशत अंश का भुगतान माह अक्टूबर, 2025 में नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय सम्पूर्ण अवशेष का भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही एकमुश्त किया जाये।

(ख) किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उनके अवशेष के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों में देय भुगतान सहित) की धनराशि का एकमुश्त नकद भुगतान, ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को, कर दिया जायेगा।

11- इस शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रकल्पित रूप से वेतन का निर्धारण करते हुए पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 के पूर्व की अवधि के लिए कोई एरियर देय नहीं होगा। इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने पर दिनांक 01.01.2016 से एरियर का भुगतान इस शासनादेश के प्रस्तर-10 के अनुसार किया जायेगा।

12- प्रश्नगत पेंशन पुनरीक्षण आदेश में निम्नवत् शर्तों का अनुपालन उ0प्र0 पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा -

12(1) उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा के दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस- 2016/308/ 2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के अनुरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की सुविधा प्रदान की जायेगी।

12(2) उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा, विश्वविद्यालय के पूर्व/बाद में कार्यरत कार्मिकों की सेवा शर्तों का विवरण/अभिलेख के सबंध में नियमानुसार संतुष्ट हो लेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

12(3) वित्त विभाग द्वारा इस सबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्णदायित्व उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा का होगा।

13- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-1-106-दस-2024-25, दिनांक 08-08-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

रविन्द्र,
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनाँक उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा)/प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
7- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, मथुरा।
8- निदेशक/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- कुलपति/वित्त अधिकारी/रजिस्ट्रार, उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
10- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
12- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 8वां तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।